सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 837 राँची, शुक्रवार 31 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

30 अगस्त, 2018

संख्या-5/आरोप-1-275/2014-1944 (HRMS)-- श्री हरिवंश पंडित, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

SL No.	Employee Name G.P.F No.	Decision of the Competent Authority
1	2	3
1	HARIBANSH PANDIT 20060400043	श्री हरिवंश पंडित, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-848/अभि०, दिनांक-15.06.2012 द्वारा गठित प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित आरोप से सम्बंधित मामले में भविष्य में सचेत रहने हेतु चेतावनी देते हुए संचिकास्त किया जाता है.

विवरण:

श्री हरिवंश पंडित, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा के विरूद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-848/अभि०, दिनांक 15 जून, 2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमे इनके विरुद्ध निम्नवत आरोप प्रतिवेदित किये हैं:

आरोप सं०-1- दिनांक 24 जुलाई, 2010 को जिला स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति के बैठक में माननीय सदस्य, श्री रमेश उराँव द्वारा यह मामला उठाया गया था कि सेन्हा प्रखण्ड के ग्राम-अर्रू में एक ही परिवार के तीन अलग-अलग सदस्यों को एक ही बी०पी०एल० संख्या में अलग-अलग वर्षों में इंदिरा आवास योजना नवनिर्माण/ अपग्रेडेशन किस आधार पर आवंटित किया गया । उक्त समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा के पत्रांक-1419/अभि०, दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम-अर्रू में अपग्रेडेशन योजना संख्या- 60/08-09 आवंटित किया गया है । अपग्रेडेशन योजना संख्या-60/08-09, लाभुक श्रीमती लीलावती देवी, पति- सुलेश्वर महतो, ग्राम-अर्रू को आवंटित किया गया है । योजना अभिलेख के अनुसार लाभुक का बी०पी०एल० नं०- 9536/14 अंकित है । अभिलेख में लाभुक की भूमि का विवरण या मकान की विवरणी अंकित नहीं हैं । तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा श्री हरिवंश पंडित द्वारा लाभुक श्रीमती लीलावती देवी को चेक संख्या-0002683, दिनांक 9 मार्च, 2009 के द्वारा 7,500.00 रू० की प्रथम अग्रिम राशि तथा चेक संख्या-002705, दिनांक 9 मार्च, 2009 के द्वारा 7,500.00 रू० द्वितीय अग्रिम राशि का भुगतान किया गया । इस तरह एक ही दिन में अर्थात 9 मार्च, 2009 को योजना की सम्पूर्ण राशि 15,000.00 रू० का अग्रिम भुगतान लाभुक को गलत तरीके से प्रावधानों के विपरीत भुगतान किया गया । एक ही दिन में योजना की सम्पूर्ण राशि का अलग-अलग बैंक चेकों के द्वारा प्रथम अग्रिम निकासी के रूप में श्री सुजित कुमार, जनसेवक, सेन्हा के पहचान पर तथा द्वितीय अग्रिम की 7,500.00 रू० की राशि का भुगतान श्री विनय कुमार, जनसेवक, सेन्हा के पहचान पर लाभुक को भुगतान किया गया । इससे स्पष्ट है कि लाभुक के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन तथा भुगतान की प्रक्रिया में तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा धाँधली एवं वित्तीय अनियमितताएँ बरती गयी है । योजना के पूर्ण होने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है और न ही कोई पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न है ।

आरोप सं०-2- इंदिरा आवास योजना (नक्सल) नव निर्माण के तहत् वित्तीय वर्ष 2009-10 में योजना सं०-445/09-10 लाभुक श्री विजय कुमार महतो, पिता- श्री सुलेश्वर महतो, ग्राम-अर्रू को एक इकाई आवंटित किया गया। लाभुक श्री विजय महतो का बी०पी०एल० नंबर-9536/14 वही है, जो उनकी माता श्रीमती लीलावती देवी का है, जिन्हें वर्ष 2008-09 में अपग्रेडेशन योजना का लाभ दिया गया था ।

आरोप सं०-3- इंदिरा आवास योजना के तहत् श्री सुलेश्वर महतो, पिता-श्री राजमैन महतो, ग्राम-अर्रू को एक इकाई आवंटित किया गया था । लाभुक श्री सुलेश्वर महतो का बी०पी०एल० नंबर भी वही है अर्थात 9536/14 जो उनकी पत्नी श्रीमती लीलावती देवी और उनके पुत्र श्री विजय कुमार महतो का है तथा जिन्हें पूर्व में क्रमशः अपग्रेडेशन योजना एवं इंदिरा आवास (नक्सल) नव निर्माण आवंटित किया गया था । इस प्रकार एक ही परिवार के तीन सदस्यों को एक ही बी०पी०एल० नंबर में पति, पत्नी और पुत्र को इंदिरा आवास योजना/अपग्रेडेशन का लाभ दिया गया । इससे साफ पता चलता है कि

लाभुकों के चयन में धाँधली एवं गड़बड़ी की गई और अग्रिम राशि के भुगतान में अनियमितताएँ बरती गई है । जिला स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति के बैठक में जाँच कराये जाने की जानकारी मिलने के पश्चात् लाभुक श्री विजय महतो को प्रथम अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि 17,500.00 रू० को प्रखण्ड नजारत में जमा किया गया और योजना संख्या-445/2009-10 को रद्द किया गया है । यह राशि नाजीर रसीद संख्या-0133805, दिनांक 31 अगस्त, 2010 के द्वारा जमा किया गया । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बैठक में जाँच कराए जाने के निर्णय के पश्चात् Back Dating कर राशि जमा कराया गया है । दिनांक 31 अगस्त, 2010 में Back Dating करके पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री हरिवंश पंडित द्वारा कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से अभिलेख में राशि जमा करने एवं नाजीर रसीद निर्गत किया गया है । Back date में राशि जमा कर धूल झोंकने का चालाकी भरा कार्य किया गया है । जाँच के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के चयन में धाँधली और गड़बड़ी की गई है और गलत ढंग से लाभुकों की प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है । पुनः जाँच एवं सत्यापन कर लाभुकों का चयन, एक ही दिन में योजना का सम्पूर्ण राशि का भुगतान करना, योजना अभिलेख का संधारण नहीं करना, योजना पूर्णतः की स्थिति अस्पष्ट होना तथा एक योजना अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा तथा उनके अधीनस्थ कर्मी जिम्मेवार है ।

2. उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-9172, दिनांक 7 अगस्त, 2012 द्वारा श्री पंडित से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके आलोक में श्री पंडित के पत्रांक-135, दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्री पंडित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-12689, दिनांक 12 नवम्बर, 2012 द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं स्मारित किया गया, जिसके आलोक में उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-909/अभि०, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 द्वारा वांछित मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

4. श्री पंडित के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लोहरदगा के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3882, दिनांक 23 मार्च, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालानोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया जांच प्रतिवेदन निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 का जांच प्रतिवेदन- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा के पत्रांक-375, दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 एवं रोकड़ पुस्त की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम किस्त की रोकड़ पुस्त में प्रविष्टि दिनांक 9 मार्च, 2009 को, द्वितीय किस्त की प्रविष्टि दिनांक 13 मार्च, 2009 को की गयी है । इसी प्रकार बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम किस्त के चेक का नकदीकरण दिनांक 16 मार्च, 2009 को तथा द्वितीय किस्त की चेक का नकदीकरण दिनांक 30 मार्च, 2009 को हुआ है । योजना अभिलेख एवं प्राप्ति रसीद में चेक संख्या 2705, दिनांक 9 मार्च, 2009 अंकित है । इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय किस्त का चेक भी दिनांक 9 मार्च, 2009 को ही निर्गत है, किन्तु बैंक द्वारा अलग-अलग तिथियों (16.03.2009 एवं 30.03.2009) में भुगतान किया गया है । इसलिए एक ही तिथि को दोनों अग्रिमों का भुगतान कर दिया गया, ऐसा कहना उचित नहीं होगा । योजना अभिलेख में खाता

प्लॉट का कॉलम खाली है । योजना अभिलेख में यद्यपि योजना की पूर्णता का उल्लेख नहीं है, किन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के पत्रांक-364, दिनांक 24 सितम्बर, 2012 की कंडिका-1 में कहा गया है कि श्री विनय कुमार, जनसेवक ने श्रीमती लीलावती देवी, ग्राम-अर्रू के इंदिरा आवास अपग्रेडेशन (2008-09) के भौतिक जाँचोपरांत अंतिम भुगतान किया है, यह कथन सत्य है । श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की कंडिका-1 से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा की गयी जाँच की तिथि 8 मार्च, 2009 के पूर्व ही योजना भौतिक रूप में पूर्ण हो चुकी थी, भले ही अभिलेख में योजना के पूर्ण होने का उल्लेख नहीं किया गया । आरोपी के द्वारा योजना अभिलेख में खाता- प्लॉट का नहीं भरा जाना, अभिलेख में योजना की पूर्णता का उल्लेख नहीं करना आदि प्रक्रियात्मक त्रुटि अवश्य है, लेकिन लाभुकों के चयन, योजना के कार्यान्वयन तथा भुगतान की प्रक्रिया में धांधली तथा वित्तीय अनियमितता का आरोप सही प्रतीत नहीं होता है । आरोपी का दोष सिर्फ इतना है कि योजना अभिलेख, प्राप्ति रसीद आदि पर आरोपी द्वारा कहीं भी हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं की गयी । अभिलेख के आदेशफलक के उपांत में भी तिथि अंकित नहीं है । इनका यह कृत्य नियमानुकूल नहीं है ।

आरोप सं०-2 का जांच प्रतिवेदन- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा श्री विनय कुमार सहित अन्य जनसेवकों को निदेश दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में विभागीय निदेश के प्रतिकूल वर्ष 2009-10 के लिए इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन नहीं किया जाय। यदि ऐसा हुआ तो तुरंत रद्द करते हुए सूचित किया जाय । प्रभारी जनसेवक श्री विनय कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया गया है कि सेन्हा प्रखण्ड में योगदान करते ही उन्हें तीन-तीन पंचायत के लिए नक्सल इंदिरा आवास लाभार्थियों की सूची जमा करने का आदेश दिया गया । इसी क्रम में श्री विजय कुमार महतो का नाम भी कार्य के दबाव में अनजाने में चढ़ गया । इस प्रकार गलत लाभार्थी के चयन लाभार्थी के चयन हेतु मुख्यतः प्रभारी जनसेवक ही दोषी है । योजना पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री विजय कुमार महतो को आंवटित इंदिरा आवास योजना सं०-445/09-10 को रद्द कर दिया गया है तथा नाजिर रसीद के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री महतो को दी गयी अग्रिम की राशि 17,500 रू० दिनांक 31 अगस्त, 2010 वापस ले ली गयी है । प्रस्तुत मामले में प्रपत्र-'क' दिनांक 15 जून, 2012 को हस्ताक्षरित है । स्पष्ट है कि आरोप पत्र हस्ताक्षरित होने के लगभग दो वर्ष पहले ही प्रश्नगत योजना रद्द कर अग्रिम राशि की वसूली कर ली गयी थी । इस प्रकार, श्री महतो को इंदिरा आवास आवंटित करने का आरोप लगाना सही प्रतीत नहीं होता है । अतः आरोपी के विरूद्ध आरोप सं०-2 प्रमाणित नहीं होता है ।

आरोप सं०-3 पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के पत्रांक-364, दिनांक 24 सितम्बर, 2012 की कंडिका-3 में जनसेवक के इस कथन से सहमति व्यक्त की गयी है कि श्री सुलेश्वर महतो, पिता- श्री राजमैन महतो, ग्राम-अर्रू का नाम इंदिरा आवास योजना निर्माण के लिए तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची में अंकित है, लेकिन उन्हें प्रखण्ड स्तर से आवास मुहैया नहीं कराया गया है ।

आरोप सं०-2 के संदर्भ में स्पष्ट किया जा चुका है कि श्री विजय कुमार के नाम से स्वीकृत इंदिरा आवास योजना को रद्द कर उनसे अग्रिम की राशि वापस ले ली गयी तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के पत्रांक-364, दिनांक 24 सितम्बर, 2012 की कंडिका-3 से यह स्पष्ट है कि

श्री सुलेश्वर महतो को इंदिरा आवास का लाभ मुहैया नहीं कराया गया है । इस प्रकार एक ही परिवार के तीन सदस्यों को इंदिरा आवास योजना का लाभ देने का आरोप सही प्रतीत नहीं होता है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के पत्रांक-339, दिनांक 28 मई, 2010 द्वारा जनसेवक को निदेश दिया गया है कि श्री विजय कुमार महतो के अवैध चयन को रद्द करते हुए दी गयी अग्रिम की राशि वसूली की कार्रवाई करें । स्पष्ट है कि जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 24 जुलाई, 2010 के लगभग दो माह पूर्व ही श्री विजय कुमार को स्वीकृत इंदिरा आवास को रद्द करने तथा अग्रिम राशि की वापसी का आदेश आरोपी द्वारा निर्गत किया जा चुका था, जिसके आलोक में दिनांक 31 अगस्त, 2010 को राशि वापस लेकर नाजिर रसीद निर्गत किया गय है । अतः बैकडेटिंग का आरोप सही प्रतीत नहीं होता है । दिनांक 24 जुलाई, 2010 की बैठक के पूर्व की तिथि में यदि नाजिर रसीद निर्गत किया गया होता तो बैकडेटिंग का संदेह किया जा सकता था । अतः आरोप सं०-3 प्रमाणित नहीं होता है ।

श्री पंडित के विरुद्ध आरोप, इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी. समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जांच एवं निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री हरिवंश पंडित, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा द्वारा की गयी प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए लिए भविष्य में सचेत रहने हेतु चेतावनी देते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के उप सचिव
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 837 -- 50